न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बहराइच।

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1121/2026

(CNR No.UPBH010032492026)

राजेन्द्र प्रसाद उम्र लगभग 59 वर्ष पुत्र केशवराम प्रजापति, निवासी–कुम्हारनपुरवा, दा०–विजयपुर, थाना–कैसरगंज, जनपद–बहराइच––– ––आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

राज्य उ०प्र० द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी), बहराइच।

––अभियोजन पक्ष।

अपराध संख्या–113/2026,
धारा–3(5),190(1),103(1),115(2),
352,351(3) बी०एन०एस०,
थाना–कैसरगंज, जनपद–बहराइच।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

03.06.2026

1. थाना–कैसरगंज, जनपद–बहराइच के अपराध सं०–113/2026, अन्तर्गत धारा–3(5), 190(1), 103(1), 115(2), 352, 351(3) बी०एन०एस० के प्रकरण में जिला कारागार, बहराइच में निरुद्ध आवेदक/अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद की तरफ से यह जमानत प्रार्थना–पत्र शपथी सतीश कुमार के शपथ–पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र व संलग्न शपथ–पत्र में इस आशय का कथन किया गया है कि प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र सत्र न्यायालय पर प्रथम है। इसके अतिरिक्त कोई भी जमानत प्रार्थना–पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ अथवा किसी अन्य न्यायालय में योजित नहीं किया और न ही विचाराधीन है।

3. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच द्वारा आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र दिनांक–26.05.2026 को निरस्त किया गया है।

4. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि विपक्षी विमल की बहन काजल उम्र लगभग 19 वर्ष, लगभग तीन हफ्ते पहले अपने घर से भाग गई थी। वादिनी लीला का पुत्र उस समय कानपुर में रहकर काम करता था। उसके पुत्र को जब लड़की मिली, तो उसे वापस उसके घर लाकर छोड़ दिया, परन्तु विपक्षी द्वारा इसी बात की रंजिश को लेकर दिनांक–24.04.2026 की सायं को जब वादिनी का पुत्र काम करके घर वापस आ रहा था, तो विपक्षी सं०–5 हकीम के उकसाने पर सभी विपक्षीगण विमल, बब्लू, रंगीलाल उर्फ लालता प्रसाद, रामू, हकीम, राजिन्दर, राकेश प्रजापति, राज नन्दनी व पांचू मिलकर लड़के को गन्दी–गन्दी गालियाँ देते हुए विपक्षी सं०–1 विमल के घर में खींच ले गये व लात, घूंसों से काफी मारा–पीटा व विपक्षी सं०–1 विमल ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर विपक्षी सं०–5 हकीम के कहने पर पेट्रोल डालकर जला दिया। शोर सुनकर जब वादिनी व अन्य लोग दौड़े, तो देखा कि उसका पुत्र विमल के घर से जलता हुआ निकल रहा था, तब किसी तरह से आग बुझाकर पुत्र को कैसरगंज अस्पताल पहुँचाया, जहाँ से उसे बहराइच रेफर कर दिया गया व उसके बाद बहराइच से लखनऊ रेफर कर दिया गया, जहाँ पर उसका पुत्र जिन्दगी व मृत्यु के बीच झूल रहा है। विपक्षीगण, जो परिवार से काफी सबल हैं, अक्सर पूरे गाँव को डराते एवं धमकाते रहते हैं व विपक्षी हकीम, जो ग्राम प्रधान है, ऐलानिया कहता है कि

Digitally signed by RAJESH KUMAR SINGH
Date: 2026.06.03 19:58:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मेरी खिलाफत करोगे तो पूरे परिवार को जिन्दा जलवा देंगे। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वादिनी विपक्षीगण की दबंगई व गुंडई से काफी परेशान है। विपक्षीगण ने भी ऐलानिया पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी है।

5. वादिनी की उक्त तहरीर के आधार पर दिनांक–26.04.2026 को समय 19:45 बजे, आवेदक/अभियुक्त राजिन्दर एवं सह–अभियुक्तगण विमल, बब्लू, रंगीलाल उर्फ लालता प्रसाद, रामू, हकीम, राकेश प्रजापति, राज नन्दनी, पांचू के विरुद्ध अपराध संख्या–113/2026, अन्तर्गत धारा–115(2), 352, 351(3), 109 बी०एन०एस० के अपराध में थाना–कैसरगंज, जनपद–बहराइच पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा मामले में धारा–115(2), 352, 351(3), 109 बी०एन०एस० को विलोपित करके धारा–108 बी०एन०एस० की वृद्धि की गई। तत्पश्चात् धारा–108 बी०एन०एस० का विलोपन करके धारा–103, 3(5), 190(1), 115(2), 352, 351(3) बी०एन०एस० की वृद्धि की गई तथा पुनः धारा–103 बी०एन०एस० को तरमीम करते हुए धारा–103(1) बी०एन०एस० में परिवर्तित किया गया। मामले की विवेचना प्रचलित है।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना–पत्र मय संलग्न शपथ–पत्र में वर्णित अभिकथनों का समर्थन करते हुए कहा कि मृतक गणेश चौहान की मृत्यु दिनांक–30.04.2026 को सुबह 09:00 बजे किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में दवा इलाज के दौरान हो गयी। मृतक का शव–विच्छेदन दिनांक–30.04.2026 को शाम 05:20 बजे किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के मर्चरी में किया गया। मृत्यु का कारण संक्रमण (सेप्टीसीमिया) जो कि जले हुए घाव के कारण दर्शाया गया है। शरीर पर अन्य कोई जाहिरा चोट शव–विच्छेदन आख्या में दर्शित नहीं है। वह पूर्णतया निर्दोष है। मृतक गणेश चौहान उर्फ गुल्ले दिनांक–29.03.2026 को राधेश्याम की पुत्री को भगा ले गया था, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०सं०–82/2026, अन्तर्गत धारा–87 बी०एन०एस० में दिनांक–30.03.2026 को थाना–कैसरगंज, जनपद–बहराइच में मृतक गणेश चौहान के विरूद्ध पंजीकृत हुई। राधेश्याम की पुत्री की बरामदगी के पश्चात् थाना–कैसरगंज की पुलिस द्वारा उसकी मां शान्ती देवी/वादिनी अपराध सं०–82/2026 को सुपुर्दगी पीड़िता दे दिया तथा पीड़िता द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया। इसके पश्चात् पुलिस द्वारा मृतक गणेश चौहान को अभिरक्षा में लेने के लिए दबिश दी गई और मृतक द्वारा इन्स्टाग्राम पर एक पोस्ट डालते हुए कहा जाने लगा कि वह फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगा और दिनांक–24.04.2026 को मृतक द्वारा स्वयं अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली गयी। जलते समय पी०आर०वी०–112 नम्बर पुलिस अपने कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा स्थानीय लोगों का बयान लिया गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि मृतक ने स्वयं ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा लिया है। मृतक द्वारा अपने मृत्युकालीन बयान में उसका नाम नहीं लिया गया, मात्र मु०अ०सं०–82/2026, अन्तर्गत धारा–87 बी०एन०एस० के वादी के जाति के होने के कारण फर्जी तरीके से प्राथमिकी में नामित कर दिया गया है। उसकी घटना में किसी भी प्रकार से संलिप्तता नहीं है। उसे मात्र रंजिशन व द्वेषभावना के कारण फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से व खूब सोच–समझकर दर्ज करायी गयी है, परन्तु विलम्ब से दर्ज कराने का कोई भी कारण दर्शित नहीं किया गया है। उपरोक्त लगाया गया आरोप उस पर किसी भी प्रकार से नहीं बनता है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह दिनांक–07.05.2026 से जिला कारागार, बहराइच में निरुद्ध है। उपरोक्त कथनों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गई।

7. राज्य की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच एवं वादिनी के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए संयुक्त रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि सह–अभियुक्त विमल की बहन काजल उम्र लगभग 19 वर्ष अपने घर से भाग गई थी, जो वादिनी के लड़के गणेश चौहान(मृतक) को मिली। वादिनी का लड़का गणेश चौहान कानपुर में रहकर काम करता था। गणेश चौहान ने सह–अभियुक्त विमल की बहन को वापस उसके घर लाकर छोड़ दिया, इसी रंजिश को लेकर आवेदक/ अभियुक्त व सह–अभियुक्तगण ने दिनांक–

24.04.2026 की सायं को जब वादिनी का लड़का गणेश चौहान काम करके घर वापस आ रहा था, को एक साथ मिलकर गालियां देते हुए घर के अन्दर खींचकर लात, घूंसों से मारा–पीटा एवं पेट्रोल डालकर जला दिया। शोर पर वादिनी व अन्य लोगों ने गणेश चौहान को सह–अभियुक्त विमल के घर से जलता हुआ निकलते हुए देखा है। किसी तरह से आग बुझाकर लड़के को कैसरगंज अस्पताल पहुँचाया गया, जहां से उसे बहराइच सन्दर्भित कर दिया गया, फिर इसके बाद किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ सन्दर्भित कर दिया गया, जहाँ इलाज के दौरान दिनांक–30.04.2026 को उसकी मृत्यु हो गयी। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। वादिनी एवं चश्मदीद साक्षियों ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है तथा घटना कारित करने में आवेदक/अभियुक्त की भी संलिप्तता बताई है। मामले की विवेचना प्रचलति है। आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने की दशा में उसके द्वारा साक्ष्य को प्रभावित किये जाने एवं फरार हो जाने की सम्भावना है, जिससे मामले के विचारण में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतएव आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

8. जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादिनी के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच के तर्कों को सुना एवं केस डायरी व थाने की आख्या का सम्यक् अवलोकन किया।

9. उपलब्ध केस डायरी एवं अन्य सुसंगत प्रपत्रों के परिशीलन से प्रकट होता है कि आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध यह अभियोग है कि मृतक गणेश द्वारा शान्ती देवी की पुत्री काजल से प्रेम विवाह कर लेने की रंजिश के कारण आवेदक/अभियुक्त व सह–अभियुक्तगण ने दिनांक–24.04.2026 को समय लगभग 07: बजे अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में गणेश को गालियां देते हुए घर के अन्दर ले जाकर लात, मूंका, घूंसा एवं डण्डे से मार–पीटकर उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाकर हत्या कारित किया तथा वादिनी पक्ष को जीवित जला देने की धमकी दी। केस डायरी के साथ घायल गणेश की डिस्चार्ज समरी की छायाप्रति संलग्न है, जिसके अनुसार उक्त गणेश दिनांक–24.04.2026 से 25.04.2026 को 12:50 पी०एम० तक महर्षि बालार्क हास्पिटल बहराइच में भर्ती रहा और थर्मल बर्न इंजरी का इलाज किया गया तथा उसे के०जी०एम०यू०/सिविल हास्पिटल लखनऊ के लिए संदर्भित किया गया। केस डायरी के पर्चा सं०–4 में विवेचक ने यह उल्लिखित किया है कि मजरूब गणेश चौहान, जो उपचार हेतु के०जी०एम०यू०, लखनऊ में भर्ती था, की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक का पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम जनपद–लखनऊ में सम्पन्न हुआ। मृतक का अंतिम संस्कार उसके परिजनों व ग्रामवासियों द्वारा दिनांक–01.05.2026 को उसके पैतृक गांव ग्राम–कुम्हारनपुरवा में सम्पन्न किया गया। केस डायरी के साथ मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति संलग्न है, जिसके अनुसार मृतक गणेश के शव का विच्छेदन दिनांक–30.04.2026 को किया गया, जिसमें उसके शरीर के सभी हिस्सों पर सतह से लेकर गहरे जलने के घाव पाये गये, सिवाय दाहिने पैरे के घुटने के नीचे के हिस्से, हथेली और दोनों तलवे, सिर के ऊपरी हिस्से के बाल जले हुए। गणेश की मृत्यु, मृत्यु पूर्व जलने के घाव के कारण संक्रमण(Septicemia) से होना उल्लिखित है। केस डायरी के पर्चा सं०–1 में वादिनी लीला ने विवेचक को दिये अपने बयान में विपक्षी विमल की बहन को करीब तीन हफ्ते पहले घर से भाग जाने, उसके लड़के गणेश द्वारा विमल की बहन के मिलने पर उसे घर लाकर छोड़ देने, इसी रंजिश को लेकर विपक्षीगण द्वारा प्रधान के उकसाने व कहने पर गणेश को गालियां देते हुए घर के अन्दर खींचकर लात, घूंसा से मार–पीटकर पेट्रोल डालकर जला देने, शोर सुनकर वह व गांव के अन्य लोगों के दौड़कर लड़के को जलते हुए देखने, किसी तरह आग बुझाकर उसे अस्पताल पहुंचाने व विपक्षीगण द्वारा जान से मारने की धमकी देने का अभिकथन किया है। केस डायरी के पर्चा सं०–10 में विवेचक ने गणेश के मृत्यु पूर्व बयान का उल्लेख किया है, जिसमें दिनांक–25.04.2026 को उक्त गणेश का मृत्यु पूर्व बयान लिये जाने, गणेश द्वारा सायं 07:00 बजे काम से लौटते समय रंगीलाल, विमल प्रजापति, पांचू, मिथुन प्रजापति, राकेश, कंधई प्रजापति, राज नन्दनी, बब्लू प्रजापति आदि द्वारा उसको मारने और पेट्रोल डाल देने तथा रंगीलाल द्वारा माचिस लगा देने का अभिकथन किया

है। सी०डी० के उक्त पर्चे में ही डॉ० दिवाकर दत्त तिवारी ने विवेचक को दिये अपने बयान में दिनांक–24.04.2026 को गणेश को सी०एच०सी० कैसरगंज से रेफर होकर जिला अस्पताल आने, जिसका इलाज उनके द्वारा किये जाने, दिनांक–25.04.2026 को गणेश की हालत गम्भीर होने के कारण के०जी०एम०यू० लखनऊ रेफर कर देने, मरीज के पूर्णतया होश–हवास में होने, मरीज द्वारा गांव के विमल आदि लोगों द्वारा मार–पीटकर पेट्रोल डालकर जला देने का अभिकथन किया है। केस डायरी के पर्चा सं०–11 में गवाह मौसमी चौहान ने विवेचक को दिये अपने बयान में दिनांक–24.04.2026 की सायं गणेश को जोर–जोर से बचाव–बचाव की आवाज लगाते हुए घर की तरफ से आने, वह तथा घर के लोग आवाज सुनकर आकर अपने भाई के शरीर में आग लगे व जलते हुए देखने, आग बुझाने का प्रयास करने, रंगीलाल उर्फ लालता, विमल, बब्लू, रामू, राजेन्द्र प्रसाद(आवेदक/अभियुक्त), राकेश प्रजापति, राज नन्दनी, पांचू, मिथुन प्रजापति व कन्धई को देखने, गणेश द्वारा उक्त लोगों को उसे गाली–गुप्ता व धमकी देने तथा सभी लोगों द्वारा पकड़ लेने एवं रंगीलाल द्वारा गणेश पर पेट्रोल डालकर आग लगा देने का अभिकथन किया है। उक्त कथनों का समर्थन चश्मदीद साक्षी शिवकुमारी, सोनी व नितिन कुमार तथा स्वतन्त्र साक्षी अशोक कुमार, अनिल कुमार ने विवेचक को दिये अपने–अपने बयानों में किया है। मामले की विवेचना प्रचलित है। साक्ष्य संकलित होना शेष है। अभियोजन का तर्क है कि आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने की दशा में उसके द्वारा साक्ष्य को प्रभावित किये जाने एवं फरार हो जाने की सम्भावना है, जिससे मामले के विचारण में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है।

10. अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर बिना कोई अभिमत प्रकट किये आवेदक/अभियुक्त की जमानत का आधार उचित प्रतीत नहीं होता है। अतएव जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद की तरफ से अपराध सं०–113/2026, अन्तर्गत धारा–3(5), 190(1), 103(1), 115(2), 352, 351(3) बी०एन०एस०, थाना–कैसरगंज, जनपद–बहराइच के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

(राजेश कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,बहराइच।
Id.No.–UP2017

दिनांकः 03.06.2026